


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 137
दिनांक : 10/08/2017
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री महेन्द्र गोयल

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

| प्रश्न | उत्तर |
|--|---|
| क) डी.जी.ई.एच.एस. कार्ड धारकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स/डॉयग्नोस्टिक सैण्टर में इलाज या जाँच करवाने के लिए किसी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से रैफर करवाने की जरूरत है; यदि हाँ तो पूरी प्रक्रिया बताएं और ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करवायें | जी नहीं, रैफर करवाना आवश्यक नहीं है । |
| ख) एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स/डॉयग्नोस्टिक सैण्टर में इलाज करवाने के बाद सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से दवाईयाँ न उपलब्ध होने पर उनको संबंधित सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी दवाईयों को 'एन/ए' करवाना जरूरी है; | जी हां, |
| ग) यदि हाँ तो पूरी प्रक्रिया बताएं और ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करवायें ? | यदि कोई दवा सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी में उपलब्ध है, तो वह वहीं से लेनी होती है । यदि उपलब्ध नहीं हो तो इसके लिए एन/ए लेना आवश्यक है, परन्तु यदि एन/ए तुरन्त नहीं लिया जा सका है तो दिनांक 02.05.2012 के सरकुलर के अनुसार यह एन/ए डॉक्टर के परामर्श/दवा लिखे जाने की तिथि के बाद में भी लिया जा सकता है । |


Joint Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
909 A, 9th Level, Delhi Sectt.
New Delhi